राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग–3)

क्रमांक एफ 1(2)ग्रावि/नरेगा/माद/पार्ट–I/10 जयपुर, दिनांक : 28 MAR 2011

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक
महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान।

विषयः–**महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत सड़क निर्माण के सम्बन्ध में।**
संदर्भः–**विभागीय समसंख्यक आदेश दिनांक 23.3.2011**

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि वर्तमान में योजनान्तर्गत ग्रेवल सड़कों का निर्माण कार्य कराया जा रहा है। समय–समय पर जनप्रतिनिधियों द्वारा सड़क निर्माण कार्य प्री कास्ट इन्टरलोकिंग टाईल्स/ब्लाक्स, पत्थर/ईंट के खरन्जे से भी कराये जाने की मांग की गयी है। राजस्थान रोजगार गारंटी परिषद की बैठक दिनांक 16.02.2011 की बैठक में भी परिषद के सदस्यों द्वारा इस तरह की मांग की गयी है।

महात्मा गांधी नरेगा अधिनियम 2005 कि अनुसूची एक के पैरा 1(viii) में सभी मौसमों में पहुंच का उपबन्ध करने के लिये ग्रामीण संयोजकता का कार्य अनुमत है। इसी कम में केन्द्र सरकार द्वारा जारी दिशा निर्देश 2008 के अध्याय 6 के बिन्दु संख्या 6.1.1(viii) में यह स्पष्ट किया गया है कि योजनान्तर्गत बारहमासी सड़कों का निर्माण तथा जहां आवश्यक हो वहॉ कलवर्ट निर्माण कार्य तथा आबादी क्षेत्र में नालियों का निर्माण भी कराया जा सकता है। साथ ही यह भी स्पष्ट किया गया है कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में सम्मिलित सड़कों का निर्माण कार्य योजनान्तर्गत नहीं करवाया जावे तथा सीमेन्ट कंक्रीट की सड़कों का निर्माण नहीं कराया जावे।

सड़क निर्माण के सम्बन्ध में विभाग द्वारा जारी संदर्भित निर्देशों की निरन्तरता में निम्नानुसार निर्देश जारी किये जाते हैः–

1. गांवों की आन्तरिक सड़कों का निर्माण कार्य प्री कास्ट इन्टरलोकिंग टाईल्स/ब्लाक्स, पत्थर/ईंट के खरन्जे से भी कराया जा सकता है परन्तु गांवों को जोडने के कार्य प्री कास्ट इन्टरलोकिंग टाईल्स/ब्लाक्स, पत्थर/ईंट के खरन्जे से नही कराया जावें।
2. आबादी क्षेत्र में सडक निर्माण के साथ–साथ नाली निर्माण का कार्य भी कराये जाने के प्रयास किये जावें ताकि सड़कों की लाईफ बढायी जा सकें एवं गांवों में सफाई व्यवस्था सुनिश्चित की जा सकें।
3. बारहमासी आवागमन सुनिश्चित करने तथा निर्मित सड़क के पूर्ण उपयोग हेतु आवश्यकतानुसार कलवर्ट अथवा अन्य जल निकासी के कार्य (Cross Drainage Works) भी आवश्यक रूप से सम्मिलित किये जावें।

4. इन कार्यो की स्वीकृती जारी करते समय यह सुनिश्चित किया जावे कि प्रत्येक ग्राम पंचायत स्तर पर पूर्व स्वीकृत कार्यो को सम्मिलित करते हुये सामग्री मद में व्यय 40 प्रतिशत से अधिक न हो। सामग्री मद में 40 प्रतिशत से अधिक व्यय की सम्भावना होने की स्थिति में अन्य योजनाओं यथा एमपीलेड, एमएलएलेड,बीआरजीएफ आदि से डवटेल कर अतिरिक्त राशि की व्यवस्था की जावे।
5. इस प्रकार के कार्य स्वीकृत करते समय इस बात का ध्यान रखा जावे कि ऐसे कार्यो का लाभ जरूरतमंद प्रत्येग ग्राम पंचायत को मिले तथा कार्यो के प्रगतिरत रहने के दौरान पर्यवेक्षण रखते हुये गुणवत्ता का विशेष ध्यान रखा जावें।
6. प्री कास्ट इन्टरलोकिंग टाईल्स/ब्लाक्स, पत्थर/ईंट के खरन्जे का निर्माण कार्य विभाग द्वारा जारी तकनीकी मार्गदर्शिका 2010 के परिशिष्ठ 1 के बिन्दु संख्या 19 के अनुसार किया जाना सुनिश्चित किया जावे।
7. सड़क निर्माण के कार्य यदि अनुमोदित वार्षिक कार्य योजना 2011–12 में सम्मिलित नहीं किये गये है तो इन कार्यों को नियमानुसार प्रत्येक स्तर से अनुमोदन कराने के उपरान्त संशोंधित वार्षिक कार्य योजना में सम्मिलित कर लिये जावें।

उक्तानुसार कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।

भवदीय

28/3/11

(तन्मय कुमार)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :–

1. विशिष्ठ सहायक, माननीय मंत्री ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
2. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव ग्रामीण विकास एवं पंचायतीराज विभाग।
3. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक प्रथम एवं द्वितीय, महात्मा गांधी नरेगा राजस्थान एवं मुख्य/अतिरिक्त मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान।
4. अतिरिक्त जिला कार्यक्रम समन्वयक, जयपुर/जोधपुर।
5. रक्षित पत्रावली।

28/3

परि.निदे. एवं उप सचिव, ईजीएस